मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 426 एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 की कंडिका 7.1 के तहत् भवन प्लान की स्वीकृति)

दिनांक: 29.02.2016

परमिट संख्या:– 25 / 2016

सेवा में,

मेसर्स समय कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०
निदेशक– 1.) श्री अनुप रंजन, पिता– श्री यू०पी० सिंहा
2.) श्री राजेश कुमार सिंह, पिता– स्व० मंगल सिंह,
The Sanctum, 141, SNP एरिया, आमबगान, साक्ची, जमशेदपुर।

महाशय,

प्लॉट संख्या:– 3621(P), 3642(P), 3643 (a,b,c) 3645(P), खाता संख्या:– 312 मौजा:– पारडीह, वार्ड सं०– 8 पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में व्यवसायिक सह आवासीय भवन प्लान ब्लॉक–A- Basement (Parking) + Ground Floor + 1st Floor (Comm.) + 3rd Floor (Res.), Height:-13.65M, तथा ब्लॉक–B एवं ब्लॉक–C – Basement (Parking) + Ground Floor (Parking) + 10th Floor (Res.), Height:- 33.0M, कुल इकाई–34 अदद् शॉप, 02 अदद् सामुदायिक हॉल तथा 212 अदद् आवासीय इकाई के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है:–

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत् स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
3. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड भवन निर्माण विभाग/भारतीय मानक/भारतीय भवन संहिता की विशिष्ठियों के अनुरुप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रुपांकण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्त्ता पर होगी।
4. भूखण्ड के सामने चहारदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पेवमेन्ट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रुप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना मानगो अ०क्षे०स० कार्यालय को देनी होगी तथा प्लींथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
6. निर्माणकर्त्ता को अपार्टमेन्ट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
8. अपर राज्य अग्निशामन पदाधिकारी के पत्रांक–32 दिनांक–12.01.2016 द्वारा दिये गये अग्निशामन सुझाव का पालन सुनिश्चत करना होगा।
9. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
10. भवन निर्माण मे 50 प्रतिशत फ्लाई एश ब्रिक्स का प्रयोग करना होगा।
11. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अ०क्षे०स० को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन मे Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
12. मानगो बिल्डिंग बाई लॉज 2007 एवं झारखण्ड अपार्टमेन्ट अधिनियम 2011 में वर्णित अन्य सभी प्रावधानों के साथ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 की धारा 427 के कंडिका 5 के आलोक में EWS/LIG के लिये सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डो/शुल्कों का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान मानगो अ०क्षे०स० द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
15. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल, एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
16. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है।
17. भवन प्लान की स्वीकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
18. **भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के NOC ID संख्या– JAMS/EAST/B/020316/120548 दिनांक–18.02.2016 द्वारा दिये गये सुझाव का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।**
19. विभागीय निदेश के आलोक में वाणिज्य कर विभाग से TIN No. प्राप्त करना आवश्यक है। अतः तीन माह के अंदर TIN No. इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा अन्यथा परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।
20. यह परमिट निर्माण हेतु निर्गत तिथि से मात्र तीन वर्षों के लिए ही विधिमान्य होगी।

26/02/16
सहायक अभियंता,
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर।

29.2.16
विशेष पदाधिकारी
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर।

Mango Notified Area Committee